



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244204

Email- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 55 / 10 एल.ए.
सेवा में,

दिनांक 09/01/2017

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय- जनपद चमोली में कोटी बैण्ड घतोड़ा मोटर मार्ग FP/UK/ROAD/9783/2015
एवं बगोली-कोटी मोटर मार्ग का विस्तार FP/UK/ROAD/10119/2015 के
सम्बन्ध में

सन्दर्भ:- EDS Dated 09.01.2017,

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों से भारत सरकार द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण ऑनलाईन प्रस्तावों में कुछ त्रुटियां बताई गयी थी, जिसका निराकरण इस कार्यालय के पत्र संख्या 3644/10 एल.ए. दिनांक 22.12.2016 एवं 3690/10 एल.ए. दिनांक 29.12.2016 से प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के माध्यम से आपको प्रेषित किया गया है। उक्त आपत्ति के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि पार्ट-1 के पैरा-A-1 (IX) Edit Mode में न होने के कारण Non Forest Land की प्रविष्टि किसी भी पैरा में नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में वन विभाग व अन्य तकनीकी परामर्श किया गया किन्तु Non Forest Land की प्रविष्टि ऑनलाईन प्रस्तावों में नहीं हो पा रही है। वनभूमि प्रस्तावों को Withdraw कर पुनः ऑनलाईन करने पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने में अधिक समय लगेगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:- सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति 2 नं।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

पत्रांक / दिनांक / 2017,

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर (चमोली)।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244204

Email- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक
सेवा में,

दिनांक ०९ / ०१ / २०१७

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय— जनपद चमोली में कोटी बैण्ड घतोड़ा मोटर मार्ग FP/UK/ROAD/9783/2015
एवं बगोली-कोटी मोटर मार्ग का विस्तार FP/UK/ROAD/10119/2015 के
सम्बन्ध में

सन्दर्भ:— EDS Dated 09.01.2017,

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों से भारत सरकार द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण ऑनलाईन प्रस्तावों में कुछ त्रुटियां बताई गयी थी, जिसका निराकरण इस कार्यालय के पत्र संख्या 3644/10 एल.ए. दिनांक 22.12.2016 एवं 3690/10 एल.ए. दिनांक 29.12.2016 से प्रभागीय वनाधिकारी बद्दीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के माध्यम से आपको प्रेषित किया गया है। उक्त आपत्ति के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि पार्ट-1 के पैरा-A-1 (IX) Edit Mode में न होने के कारण Non Forest Land की प्रविष्टि किसी भी पैरा में नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में वन विभाग व अन्य तकनीकी परामर्श किया गया किन्तु Non Forest Land की प्रविष्टि ऑनलाईन प्रस्तावों में नहीं हो पा रही है। वनभूमि प्रस्तावों को Withdraw कर पुनः ऑनलाईन करने पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने में अधिक समय लगेगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:— सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति 2 नं।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

पत्रांक 55 / 10 एल.ए.

दिनांक ०९ / १ / २०१७

प्रतिलिपि:— प्रभागीय वनाधिकारी बद्दीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर (चमोली)।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 3644 / 10/12/16
सेवा में,

दिनांक 22/12/2016

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- EDS Dated 22 December 2016.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार एवं आप द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	In reply to point no. 2, it is mentioned that 1.099 ha of forest land proposed for diversion required for road construction only has been shown in the component wise breakup in online part-1. The muck disposal is proposed to be done on Nap Land, which is not required to be diverted but the requirement of non-forest land is shown as 0.00 ha in para-A-1 (ix) and the component wise requirement of non-forest land has also not been shown in para-B-2.4 of online Part-1. Further, the non-forest land has not been shown in para-B-2.1, B-2.2 & B-2.3 of online Part-1 also.	इस कार्यालय के पत्रांक 3618/10 एल.ए. दिनांक 21.12.2016 द्वारा उक्त आपत्ति का निराकरण कर आपको प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव पुनः उक्त आपत्ति में वापस प्राप्त हुआ है। आपत्ति के सन्दर्भ में पुनः अवगत कराना है कि पार्ट-1 के Para-A-1 (ix) Edit Mode में ना होने के कारण Non-forest land की प्रविष्टि किसी भी Para में नहीं हो पा रही है। Non-forest land की प्रविष्टि करने हेतु Forest Technical Contact Telephone No. 011-24695407 पर वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया की Non-forest land की प्रविष्टि करने हेतु आपको प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन करना होगा तभी Non-forest land की प्रविष्टि हो पायेगी। महोदय अगर प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन किया जायेगा तो वनभूमि हस्तान्तरण/सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने में अधिक समय लगने की पूर्ण सम्भावना बनी रहेगी। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त आपत्ति का निस्तारण अपने स्तर से करने की कृपा करें।

अतः उक्त आपत्ति का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

(जे.पी.स्तूडी)
22/12/16

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.

कर्णप्रयाग

22/12/16



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 3690 / 10 एल.ए.
सेवा में,

दिनांक :- 29/12/2016

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- बगोली कोटी मोटर मार्ग का विस्तार में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- EDS दिनांक 24.10.2016 एवं दिनांक 16.11.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषय के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	In reply to this office EDS dated 03-08-2016 the KML file and geo-referenced digital map for the area proposed for CA has been uploaded at I. Part-I online. Showing the correct extent of the area but the Decision Support System (DSS) Analysis shows that 1.00 ha area falls in moderately Dense Forest (MDF) which is not considered suitable for CA. May replace 1.00 ha area of MDF with some other area suitable for CA. Revised digital map and soil toposheet map may also be uploaded/provided accordingly.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से सम्बन्धित 4.438 ha का Revised GIS Map बनाकर पार्ट-1 के क्रम संख्या L (v) and (vi) एवं KML File L (iv) के c में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-2 पेज 2 से 3)
2	The detail of non-forest land proposed for the project may be filled in online Part-I column-B 2.4.	उक्त आपत्ति के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि पार्ट-1 के Para-A-1 (ix) Edit Mode में ना होने के कारण Non-forest land की प्रविष्टि किसी भी Para में नहीं हो पा रही है। Non-forest land की प्रविष्टि करने हेतु Forest Technical Contact Telephone No. 011-24695407 पर वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया की Non-forest land की प्रविष्टि करने हेतु आपको प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन करना होगा तभी Non-forest land की प्रविष्टि हो पायेगी। महोदय अगर प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन किया जायेगा तो वनभूमि हस्तान्तरण/सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने में अधिक समय लगने की पूर्ण सम्भावना बनी रहेगी। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त आपत्ति का निस्तारण अपने स्तर से करने की कृपा करें।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

29/12/16
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग